## कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक : <u>99%</u> दिनांक : **३३०**८३०23

प्रतिलिपि :— वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

पन सरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

22/08/2023

## झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या—वन भूमि—05/2020— ३०३३ व०प०, राँची, दिनांक— ६२/६५/५०२ प्रेषक,

> जलज कुमार, उप परामशी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:- मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू-लातेहार ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल-163.5868 है0 (लातेहार वन प्रमंडल-103.681 है0, रामगढ़ वन प्रमंडल-7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल-51.9373 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं परिवर्तन एकीकृत मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची संख्या—FP/JH/TRANS/32955/2018/1291 दिनांक—20.07.2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा वांछित दस्तावेज/जानकारी Online अपलोड करते हुए विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची। वन मवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक .846.

दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि: - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची /पलामू/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/राँची/बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़/लातेहार/राँची/प्रबंधक पावरग्रिड, नामकुम राँची को भारत सरकार के पत्रांक 1291 दिनांक 20.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा मांगी गयी वांछित प्रतिवेदन शीघ इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Email-Id:- forestjhr@gmail.com

G/2020 - वनगृति LETTER - 1737 (Mukesh)

FP/JH/TRANS/32955/2018

भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change

क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पताः द्वितीय तत्, झारखण्ड राज्य ाचात वोर्ड मुख्यात्वय, एरम् चौक, राँची, झारखण्ड - 634002 por, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand

Fel: 0651-2410002, 2410007; E-mail; ro.ranchi-mef@gov.in

P/JH/TRANS/32955/2018/12.91

दिनाक: 20.07.2023

48867023

अपर मुख्य सचिव न, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार. नेपाल हाउस, राँची - 834002.



विषय :-मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू-लातेहार ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० (लातेहार वन प्रमण्डल -103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमण्डल -7.9685 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल -51.9373 हे०) वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

हाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-05/2020-1724/व.प. दिनांक 20.06.2022 एवं पत्र संख्या-वन भूमि-05/2020-2226/व.प. दिनांक 14.06.2023 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में अभी भी निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

As per the DSS analysis it is found that alignments of the uploaded KML file. of the three divisions do not match with each other and also are not congruent with the installed towers (apparently installed over forest land in violation of FCA). Therefore, it may be reexamined and correct KML file may be uploaded.

The total no of trees enumerated in forest land proposed for diversion is 15354 but ii) conventionally they all would not require felling. Therefore, number of trees proposed for felling, trimming and translocation may be informed.

The CA scheme (with 10 years of maintenance) provided under Latehar FD has iii) not been uploaded on the online application. Also, around 60Ha of forest proposed for CA are already high on vegetative index, therefore, appropriate area should be identified for the purpose.

iv) The alternative routes of transmission line are not legible, the kml of these routes

too may be submitted.

As per online application, total temporary employment is 600000 whereas total V) employment mention in Cost Benefit (CB) analysis is 120000. It may be clarified. Also, the rates eg. NPV, daily wage etc. taken for CB estimation is old, present rate may be incorporated to assess the CB Ratio.

As per DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion has been viplated by User Agency. But only Latehar forest division has reported अपर मुख्य लीचव अपर मुख्य सावव प्राचित्र एवं जलबादु परिवर्तन विवास Ranchi Forest Division which requires filed verification. If, violation is done, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report 3718 against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation of why forest department could not assess the violation (Ramgath & Ranchi FD) while processing the application. Therefore, fresh site inspection report by the concerned DFOs become imperative.

## FP/JH/TRANS/32955/2018

vii) The proposal is already more than four years old, it is pertinent that the required Wildlife Management Plan and Soil Conservation Plan must have been made ready by user agency. Therefore, copy of the plans may be also uploaded on the online application.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वासभाजन

Signed by Sheshi Shankar सहायक्ष्वडकाः म्हमत्रेशिक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार,

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची ।

Haled by the